उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-9

संख्या- 20/2018/359 /अड़तीस-9-18-08(बजट)/17

लखनऊ : दिनांक-15 जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप/संशोधन

विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-15/2018/260/अड़तीस-9-18-08(बजट)/2017, दिनांक-04 मई, 2018 में मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के जनपदों को आवंटित धनराशि की सूची "ब" में क्रम संख्या-10 पर अंकित श्री जगजीवन प्रसाद, मा0 सदस्य, विधान परिषद के नोडल जनपद को फैजाबाद के स्थान पर लखनऊ किये जाने विषयक आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-52/कार्यक्रम अनुभाग/वि0नि0/2018-19 दिनांक-13.06.2018 के माध्यम से प्राप्त मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद के पत्र सं0-379/लेखा-वि0वि0-बजट/2018-19 दिनांक-30.05.2018 द्वारा श्री जगजीवन प्रसाद, मा0 सदस्य, विधान परिषद का नोडल जनपद-लखनऊ किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के दृष्टिगत उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक-04 मई, 2018 के संलग्नक में विधान परिषद के मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के जनपदों को आवंटित धनराशि की सूची "ब" में क्रम संख्या-10 को संशोधनोंपरान्त निम्नवत् पढ़ा जाय:-

क्र0 सं0	विधान परिषद सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	नोडल जनपद का नाम	अवमुक्त धनराशि (लाख रूपये में)
10	श्री जगजीवन प्रसाद	उ0प्र0 विधान सभा	लखनऊ	75.00

3- शासनादेश संख्या-15/2018/260/अड़तीस-9-18-08(बजट)/2017, दिनांक-04 मई, 2018 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी तथा शासनादेश दिनांक-04 मई, 2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

विजय बहादुर वर्मा
उप सचिव।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-20/2018/359(1)/अड़तीस-9-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
5- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
7- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मा0 सभापति, विधान परिषद, उ0प्र0।
9- निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
11- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
12- जिलाधिकारी, लखनऊ व फैजाबाद, उ0प्र0।
13- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ व फैजाबाद, उ0प्र0।
14- कोषाधिकारी, लखनऊ व फैजाबाद, उ0प्र0।
15- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
16- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/गार्डबुक।

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।